

सर्वेक्षण

जिला शिक्षा
अधिकारियों द्वारा
कार्य निष्पादन

1982

शैक्षिक प्रशासन
परिवीक्षण एवं
आयोजना प्रभाग

राजस्थान राज्य
शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण संरथान
उदयपुर - 313001

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
1. **File No.** Date.....
Date.....

सर्वेक्षण

जिला शिक्षा
अधिकारियों द्वारा
कार्य निष्पादन

1982

शैक्षिक प्रशासन
परिवेक्षण तथा
आयोजना प्रमाणी

राजस्थान राज्य
शैक्षिक अनुसंधान संबं
प्रशिक्षण संस्थान
उदयपुर

आ मुख

जिला शिक्षा अधिकारियों हैं सम्बन्ध में सामन्यतया यह माना जाता है कि ये अधिकारी अपने जिले के प्रशासनिक कार्यों में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अनादिनिक कार्यों के लिए समय ही नहीं मिल पाता। यह धारणा मानसिक धरातल पर चिन्तन की दृष्टि से तो उपयुक्त हो सकती है परन्तु तथ्यात्मक दृष्टि से तब तक विश्वनीय नहीं मानी जा सकती जब तक किसी अध्ययन के माध्यम से युक्तियुक्त पृष्ठि नहीं हो। इस बिन्दु को दृष्टिगत रूप से छुए शैक्षिक अधिकारियों को माझन्त आदू सम्मेलन (४-८ जून, १९७६) में यह निर्णय लिया गया कि इस अध्ययन के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जाय कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रायः किन-किन कार्यों में व्यस्त रहते हैं। प्रस्तुत प्रतिवेदन उक्त सम्मेलन में लिए गए निर्णय की अनुपालना में उठाया गया एक कदम है।

इस अध्ययन को पूर्ण करने में वे सभी जिला शिक्षा अधिकारी धन्यवाद एवं आपार के पात्र हैं, जिन्होंने दस संकालम कर्त्ताओं को तत्परता से सहयोग देकर कार्य पूर्ण करने में सहायता दी। जिला शिक्षा अधिकारियों के अतिरिक्त दस एकत्रीकरण दल के वे सभी अधिकारी भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अध्ययन में गृहीत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगातार तीन-तीन दिन तक अस्पारी अवलोकनकर्ता (Non-participant observer) के रूप में बैठकर दस एकत्र दरने का कार्य किया तथा अध्यापन से सम्बद्ध अन्य आवश्यक सूचनाएँ जुटाने में योगदान दिया।

इस अध्ययन को पूर्ण करने में प्रभाग-५ के हा०सी०स्ल०जौशी तत्कालीन उप निदेशक एवं श्री हा०सी०हौसी वर्तमान उप निदेशक ला० महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हा०सी०स्ल०जौशी ने इस कार्य की शुरुआत की तथा श्री हा०सी०हौसी ने इसे पूर्णता की ओर पहुँचाया। दोनों अधिकारियों का योगदान श्लाघनीय है।

दौना० उप निदेशको० के अतिरिक्त डा० पी० शर० शर्मा, अनुसंधान -
अधिकारी प्रभाग-५ एवं श्री श्याम सुन्दर मट्ट, प्रधानाध्याक्ष राजकीय
माध्यमिक विद्यालय, देवदा (बासवाढा) दिशेषतः प्रशंसा के पात्र है ।
इन दौना० ने अत्यधिक परिश्रम करके इस कार्य को पूर्णता की और
पहुंचाया । वस्तुतः यह दौना० अधिकारियो० का प्रयास है कि यह
प्रतिवेदन इस रूप में प्रस्तुत है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रतिवेदन विभागीय अधिकारियो०
की आकांक्षाओ० की पूर्ति करेगा तथा जिता शिक्षा अधिकारियो० के
विविध दायित्वो० के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लेने की दृष्टि से
उपादेय सिद्ध होगा ।

दिनांक ३१-५-८२

जै० पी० शर० शर्मा
(जै० पी० शर० शर्मा)
निदेशक
राजस्थान राज्य शिक्षाक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राजस्थान)

अनुदृश्मिता

पृष्ठ

आमुख	1, 11
प्रस्तावना	१
अध्ययनोद्देश्य	३
अध्ययन सीमारं	३
न्यादर्श चर्यन	४
उपलब्धण एवं तकनीक	५
दू. सक्तीकरण	५
दृष्टव्येष्टीण, निर्विन एवं उपपत्तियाँ	६
अपैदित एवं वास्तविक कार्यक्रमाप	७
कार्य निष्पादन	११
प्रशासनिक कार्य	२१
दैनिक कार्यक्रमाप	२५

पारिशिष्ट

I. प्रश्नावली	२८
II. अपैदित एवं वास्तविक कार्यक्रमाप से सम्बद्ध प्रप.	३४
III. अवलोकन प्रपत्ति	३६
IV. जिला निष्पादा अधिकारी कार्यालयों की डाक व्यवस्था	३८
V. जिला निष्पादा अधिकारी कार्यालयों टारा कौसेज निष्पादन	४०
VI. दृष्टव्येष्टीण दत्त	४२

संग्रही - सूची

क्रम संख्या	श्री र्षि क	पृष्ठ
1-	अध्ययन के अन्तर्गत व्यापित निलें	4
2-	जिला शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षित इव उनके व्यारा वस्तुतः निष्पादित कार्य	7
3-	विधालय निरीक्षण प्रतिवेदनों का सामालोचनात्मक विवरण	12
4-	निरीक्षण प्रतिवेदनों का अप्रेषण इव अनुवर्तन	18
5-	एक सत्र में सामालोचित बाल्पीठ इव अधिकारियों का स्थ	19
6-	विधालय बैठकों के भौदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारियों का स्थ	20
7-	जिला शिक्षा अधिकारियों का दैनिक कार्य इव समय विभाजन	25

राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य

निष्पादन : अव्ययन

आज के युग में शैक्षिक प्रशासन अन्य विभागों के प्रशासन की अपेक्षा बहुत ही तकनीकपूर्ण बन गया है। प्रशासनिक ढोचे में एक जिले का जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा का सदैच्च नेता माना जाता है। इस नेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जिले के शैक्षिक प्रशासन का सचारू रूप से संवालन करे तथा वित्तीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए जिले में शैक्षिक, सह-शैक्षिक रुप भारतिक कार्यों को गति प्रदान करें।

देश काल और परिस्थितियों के अनुसार समाज में विद्यालयों के प्रसार के साथ-साथ राजनीतिक, अकादमिक, सामाजिक चेतना एवं जागरूकता का प्रसार हुआ है और शासक और शासित के सम्बन्धों में काफी अंतर आया है। जिले में प्रशासनिक उन्नयन की धृष्टि से यह अपेक्षा की जाती है कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने परिवीक्षण से विद्यालयों में उन्नयन लाने का यत्न करे तथा इस प्रक्रिया में शक्ति (authority) के उपरोक्त के बजाय Extension तकनीक प्रयुक्त करते हुए मार्गदर्शन करें। शैक्षिक नेतृत्व के सम्बन्ध में भी इस संकलना और फलदा है कि प्राधिकारानुकरण के स्थान पर प्रजातात्त्रिक प्रणाली को अपनाया जाए, assertive नेतृत्व के स्थान पर मार्गदर्शन को प्राथमिकता दी जाए और विद्यालय उन्नयन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रकार के नेतृत्व में एक जिला शिक्षा अधिकारी को अपने प्रशासनिक दायित्वों के निवाह में पारस्परिक विवार विनिमय, मानवीय सम्बन्धों की परख, सांडार्ड, दूर दृष्टि एवं पल्से छारदे का सहारा लेना होता है।

प्रशासनिक दायित्वों के साथ-साथ एक जिला शिक्षा अधिकारी को विविध प्रकार के वित्तीय दायित्वों का भी निवाह करना होता है। इन दायित्वों में प्रमुखतः खाली जिले के लिए बजट तैयार करना, अध्यापकों के यात्रा एवं चिकित्सा बिलों का निपटारा करना समय-समय पर बैतनमानों के परिवर्तन, महांगाई भूती, अन्तर्रिम उहावता के दृढ़ थोड़ि के कलस्पर्श

बताया बिल तैयार करने व उस्थिरीकरण के मामलों को निपटाना विविध प्रकार की ग्रांट्स का उपयोग करना विद्यालय भवनों से सम्बन्धित समस्याओं का निपटारा करना विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था करवाना, हात्रवृहियों का मुग्जान करवाना, खेलों एवं टूर्नामेन्ट्स की व्यवस्था करवाना, अध्यापकों के मासिक वेतन, सरियर विभिन्न श्रेणी की सार्विकारियों। शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति एवं सभी का यथांचित मुग्जान करवाना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का यथावत निष्पादन करना आदि सम्मिलित है इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त शालाओं के अनुदान बिल पारित करना उनके लेखों की जांच, निरीक्षण उनकी शालाओं हेतु अध्यापकों की चयन सम्बन्धी बैठकों में भाग लेना आदि बहुत ही दायित्वपूर्ण कार्य का निर्वाह करना पड़ता है। उनके साथ-साथ जिलाधीश, पंचायत समितियों, अकादमिक संस्थाओं एवं जिला परिषद द्वारा आयोजित बैठकों में भाग भी लेना होता है और हन अधिकरणों के कार्य - कलापों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों का तात्परी भी बिताना होता है उपर्युक्त दायित्वों के अतिरिक्त एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व विद्यालयों में अकादमिक जागरूकता लाना है। इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालयों के अवलोकन के साथ-साथ उनका मार्गदर्शन करें, विभिन्न प्रकार की बैठकों यथा, जिला प्रधानाध्यापक वाक्पीठ, जिला अनुसंधाना वाक्पीठ, विद्यालय संगम आदि में भाग लें और सक्रिय मार्गदर्शन एवं योगदान देवें।

राज्य में शिक्षा का काफी प्रसार होता रहा है। जहां सन् १९५०-५१ में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्रमशः ४३३६, ७३२ एवं १७५ थी वहां पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक क्रमशः २१२७६, ५१७५ एवं २१६८ हो गई। यह सब हाँ जाने पर भी जिलेवार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उतने ही बने रहे जितने पहले थे। जयपुर एवं धार्तपुर जिले इसके अन्वाद हैं। ऐसी स्थिति में एक जिला शिक्षा अधिकारी को उसके अपने जिले के विद्यालयों का प्रशासन चलाने के साथ-साथ उपर्युक्त सभी कार्य करने ही होते हैं जबकि उसके अपने दायित्वों का निष्पादन करने की स्थितिया आज भी ज्याँ की त्याँ बनी हुई है।

प्रायः ऐसा महसूस किया जाने लगा है कि जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके पास उपलब्ध समय का अधिकाश भाग प्रशासनिक, वित्तीय, स्थानान्तरण

पदस्थापन, बैठकों में भाग लेने से अध्यापकों, अधिकारियों तथा शास्रां से मिलने व बातचित द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान हृदंगे में व्यतीत करना पड़ता है जोर वे उनके पास उपलब्ध समय का बहुत कम भाग अकादमिक पार्गदर्शन देने के लिए है। संभवतया इसी दृष्टि से विषय माऊन्ट आद्यु संगीष्ठी (४-८ जून, १९७६) में यह निणायि लिखा गया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर एक अध्यात्म के पाठ्यक्रम से इह जानकारी प्राप्त करें कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रायः फिल-जिल कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इसी निणायि की अनुपातना में संस्थान के शैक्षिक प्रशासन, परिवीक्षण संघ आयोजना प्रमाण ने निम्नलिखित अध्ययन समस्या का चयन किया :

“राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारियों का कार्य निष्पादन :
अध्ययन”

अध्ययन दैश्य -

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह जात करना है कि जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने कार्य संचालन में प्रशासनिक दायित्वों के साथ-साथ अन्य किन-किन दायित्वों का नियंत्रण करना पड़ता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कठिपय सहवर्ती संघ पूरक उद्देश्य भी निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार है :

- १- जिला शिक्षा अधिकारियों के अपेक्षित संवालन तथा उनके साम्य (parity) जात करना।
- २- राजस्थान राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों के ~~सूचने~~ कार्यालय समय तथा ~~उसके~~ ~~कूपी संस्कार~~ के विभाजन के सम्बन्ध में उनकी व्यस्तता के बाबत जानकारी करना।
- ३- जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अकादमिक कार्यों में लगाए गए समय की जानकारी करना।
- ४- जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा निष्पादित कोरोने की जानकारी करना।

अध्ययन - सीनार्स-

संस्थान के शैक्षिक प्रशासन, परिवीक्षण एवं आयोजना प्रमाण में उपलब्ध

पानवीद संघ सौंतिक साधानों के परिव्रेक्ष में इस अध्ययन का परिसीमन
निम्नानुसार किया गया :

- १- राजस्थान राज्य के २७ मुख्य शैक्षिक जिलों में से ७ जिलों तथा
५ में से ३ महिला जिला शिक्षा अधिकारियों को इस अध्ययन
रीमा में लिया गया ।
- २- जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्य क्रमात्मा से सम्बद्ध जानकारी के
लिए दो सको (१९७६-८० व १९८०-८१)में से उपलब्ध किसी एक
सत्र के आंकड़ों को ही आधार बनाया गया । विद्यालयों के
- ३- न्यादर्श ने गृहीत सभी जिलों से सभी प्रकार के निरीक्षण
प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने कारण के लिए १० विद्यालयों (६० माहों
संबंधी ०५०, ४० उ०प्रा०वि०, ३० प्रा०वि०) निरीक्षण प्रतिवेदनों
को इस अध्ययन का आधार बनाया गया है ।

न्यादर्श चयन -

राजस्थान राज्य में २७ शैक्षिक जिलों में २७ जिला शिक्षा अधिकारियों
को बालक विद्यालयों का संचालन करना होता है तथा ५ महिला जिला
शिक्षा अधिकारियों को समूचे लालिका विद्यालयों का निरीक्षण एवं
संचालन का दायित्व संपाद गया है । ऐडम विडि से न्यादर्श चयन में
जिन जिलों को चुना गया और जहाँ से इस संदर्भ में सूचना प्राप्त हो सकी
उन जिलों का व्यारा इस प्रकार है ।

सारणी सं०-।

अध्ययन के अन्तर्गत चयनित जिले

क्र०स०	परिवोग्र	जिले (मुख्य)	जिले (महिला)
१-	उदयपुर - कोटा	क-कोटा स-न्दी र-बांसवाड़ा	कोटा
२-	जयपुर - जसोर	क-जयपुर र-सीकर ग-मेरठपुर*	जसोर
३-	जोधपुर-बीकानेर	क-जोधपुर ख-बाढ़ीगढ़ ग-जालोर*	बीकानेर
	दोगे	७ जिले	३ जिले

*सूचिता उपलब्ध नहीं हो राई ।

उपकरण एवं तात्त्विक -

इस अध्ययन हेतु अनुभवी प्रशासकों की सम्मति से ३ उपकरण तैयार किए गए, जो इस प्रकार है :

१) प्रश्नावली :- यह प्रश्नावली मुख्यतया जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्वयं भरी जाने के लिए तैयार की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के शैक्षिक प्रशासन से सम्बद्ध अपने कार्यालय का समय विभाजन किस प्रकार करते हैं तथा अपने कार्य निष्पादन-अकादमिक एवं प्रशासनिक के विभिन्न पहलुओं का किस प्रकार समायोजन करते हैं, प्रश्नावली का प्रारूप परिशिष्ट-१ में दृष्टव्य है।

२) अपेक्षित एवं वास्तविक कार्यकलापों से सम्बद्ध प्रपत्र :-

यह उपकरण संस्थान से सूचना एकत्र के लिए जाने वाले अधिकारियों के लिए तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षित कार्यकलापों (Perceived Roles) एवं वास्तविक कार्यकलापों (Actual Roles) की जानकारी प्राप्त करना था। प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट-२ में संलग्न है।

३) अवलोकन प्रपत्र :- यह अवलोकन प्रपत्र जिला शिक्षा अधिकारियों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का व्यारो तैयार करने की दृष्टि से अवलोकन कर्ताओं के लिए निर्भीत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय समय से पूर्व एवं बाद तथा कार्यालय समय में प्रायः किस-किस प्रकार की समस्याओं के समाधान में लो रहते हैं तथा एक जिला शिक्षा अधिकारी को अकादमिक एवं प्रशासनिक कार्यों पर कितना समय लगाना पड़ता है। प्रपत्र की प्रति परिशिष्ट-३ में संलग्न है। इस प्रपत्र को भरने के लिए अवलोकनकर्ता को लातार तीन दिन तक जिला शिक्षा अधिकारी के कदा गैं बैठकर सूचना भरना पर्याप्त गाना गया था।

दत्त संक्षेप :- इस प्रतिवेदन में दत्त संक्षेप का उत्त्वेष विशेष रूप से इसलिए लिखा जा रहा है कि विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों से तथा उनके कार्यालयों से दत्त संक्षेप का कार्य करा पाना कितना कठिन

तथा जटिल है इसे दर्शाया जा सकते। इस लघु अध्ययन से यह तो सिद्ध होता ही है कि जिला स्कूल के अधिकारी भी प्राप्त सूचना देने में हिचकिचाहट^(४) एवं उदासीनता^(५) दर्शाते हैं। यह स्थिति सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ तो नहीं भी गर्वन्तु करतिप्रब जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ होते हुए भी उल्लेखनीय आशय है। दर एकत्रिकरण का कार्य नवम्बर ७६ से जून ८१ तक सम्पन्न किया गया।

(०) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि जवलांकृनकर्ता को करातार ३ दिवस तक जिला शिक्षा अधिकारी के कक्ष में बैठकर प्रत्येक घटेमें हुए घटना क्रम का संक्षेप में उल्लेख करना था। एक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी जी ने मुख्यालय में होते हुए भी जवलांकनार्थी को एक दिन अपने कक्ष में बिठाने के बाद सम्बतया हिचकिचाहट महसूस कर घर पर ही फाइल का निपटारा करना उचित समझा और वे गवर्नर कार्यालय में नहीं पधार सके। यद्यपि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में ही आश्वस्त कर दिया गया था कि उनके यहां से प्राप्त सूचना को पूर्णरूप गौपनीय रखा जावेगा तब भी उन्होंने हिचकिचाहट रखी।

(+) एक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी जी ने दर एकत्रिकरण कह दिया कि बाप सारी सूचना परे ज००८० साहब से प्राप्त कर लीजिए।

दर विश्लेषण, निर्देशन एवं उपपत्रियों -

अध्ययन के अन्तर्गत चुने गए जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा मुख्यालय तीन बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करने का वर्तन किया गया। वे बिन्दु हैं: अपौष्टिक एवं दास्तविक कार्यक्रमांक, कार्य निष्पादन, एवं अधिकारियों की दैनिक कार्य प्रविधियां। न्यादर्श में चयित अधिकारियों का राजकीय सेवानाल न्यूनतम अनुमति २२ वर्ष और अधिकतम ३७ वर्ष तथा उन्हें जिला शिक्षा अधिकारियों के पद पर कार्य करने का न्यूनतम ३ याह और अधिकतम ३ दर्जा का अनुमति प्राप्त था। इसी स्थिति में न्यादर्श के अन्तर्गत चयित जिला शिक्षा अधिकारियों का राज्य के अन्य जिलों में कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाना चाहीन होगा।

दत्त विश्लेषण, निर्बन्ध एवं तत्सम्बन्धी उपपत्रियों का जिन
तीन प्रमुख शीर्षकों में प्रस्तुत किया जा रहा है, ते इस प्रकार है :-

- । - अपेक्षित रूप वास्तविक कार्यकालाप
- ॥ - नार्य निष्ठादान
- ||| - दैनिक कार्यकालाप

उपर्युक्त तीनों प्रमुख शीर्षकों दे सम्बद्ध विवरण नीचे प्रस्तुत
किया जा रहा है ।

। - अपेक्षित रूप वास्तविक कार्यकालाप :-

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा करणीय कार्यों के सम्बन्ध
में विभागीय रांगड़िका में दिए गए मानदण्डों के आधार पर यह ज्ञात
करने का यत्न किया गया कि निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कितना कार्य
सम्पन्न हो पा रहा है । इस रांगड़ी में एकत्रित की गई सूचना का निम्नांकित
सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है :-

राणी रांगड़ी-॥

जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपेक्षित रूप वास्तविक रूप में कार्य

निष्ठादान

अपेक्षित कार्य	विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड	वास्तविक स्थिति	जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिशत
----------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------

जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय

। - निरीक्षण कार्य	२ बार	१४ प्रतिः
(क) स्वयं के कार्यालय का	१ बार	२२ प्रतिः
जनघरी से छून	एक बार	६० प्रतिः
	उत्तर नहीं दिया	४ प्रतिः
शुलाई से दिसम्बर	एक बार	३० प्रतिः
	नहीं करते हैं	८ प्रतिः
	उत्तर नहीं दिया	४५ प्रतिः
	अस्पष्ट	१७ प्रतिः

क्र० अपेक्षित कार्य सं०	विभाग छारा निर्धारित मान दण्ड	वास्तविक स्वरूप	प्रिंशिपल प्रतिशत
----------------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

(ख) अपने अधिनस्थ का यार्यालिय जनवरी से जून	एक बार	एक बार करते हैं दो बार करते हैं उचर नहीं दिया नहीं करते हैं	४५ प्रति० ७ प्रति० ३८ प्रति० १० प्रति०
जुलाई से दिसम्बर	एक बार	एक बार करते हैं ४ बार करते हैं उचर नहीं दिया	४५ प्रति० ८ प्रति० ४७ प्रति०

(ग) अनुभाग प्रायारी व कार्यालिय सहायक का कार्य का	एक बार	एक बार करते हैं अलग से नहीं करते हैं उचर नहीं दिया	५३ प्रति० ८ प्रति० ३६ प्रति०
अप्रैल से जून	एक बार	एक बार करते हैं अलग से नहीं करते हैं उचर नहीं दिया	५३ प्रति० ८ प्रति० ३६ प्रति०

जुलाई से सितम्बर	एक बार	एक बार करते हैं अलग से नहीं करते हैं उचर नहीं दिया	५३ प्रति० ८ प्रति० ३६ प्रति०
अक्टूबर से दिसम्बर	एक बार	एक बार करते हैं अलग से नहीं करते हैं उचर नहीं दिया	५३ प्रति० ८ प्रति० ३६ प्रति०

(घ) प्रायः कम से कम एक और सामान्यतया ५० प्रतिशत राज- पुत्रिय अधिकारी कार्यालिय में रहे।	कम से कम एक तथा सामान्यतया ५० प्रतिशत राज- पुत्रिय अधिकारी कार्यालिय में रहते हैं। उचर नहीं दिया	५० प्रति० ८० प्रति० ३६ प्रति० २४ प्रति०
--	--	--

विधालय निरीक्षण के सम्बन्ध में	२० से ३० विधालय प्रति माह	१४ प्रति०
(क) निरीक्षण संख्या (विधालयों की)	३१ से ४० ४१ से अधिक प्रतिमाह	१४ प्रति०
	प्रायः दोस्त हैं (संख्या ३० प्रति० नहीं दी)	८ प्रति०
	उचर नहीं दिया	३४ प्रति०

निरीक्षण प्रतिवेदन भेजना	-	प्रतिवेदन भेजे जाते हैं उत्तर नहीं दिया	६० प्रति० ४० प्रति०
(ख) विधालय निरीक्षण के समय वरीयता -			
१-उत्तम शिक्षण	-	पृथम वरीयता सूचीय वरीयता	६८ प्रति० २२ प्रति०
२-विधालय वातावरण	-	पृथम वरीयता तत्त्वीय वरीयता छठी वरीयता	१४ प्रति० २२ प्रति० ८ प्रति०
३-सहगामी प्रबृक्षियों का संचालन	-	द्वितीय वरीयता तत्त्वीय वरीयता चौथी वरीयता	२२ प्रति० ३० प्रति० ८ प्रति०
४-गृह कार्य (शाव्रों के लिए)	-	द्वितीय वरीयता तत्त्वीय वरीयता छठी वरीयता	२२ प्रति० १४ प्रति० ८ प्रति०
५-ब्रूशासन, स्टाफ समस्या स्टाफ बैठकें	-	पृथम वरीयता तत्त्वीय वरीयता चौथी वरीयता पंचम वरीयता सप्तम वरीयता	८ प्रति० १४ प्रति० १४ प्रति० २२ प्रति० ८ प्रति०
६-विधालय योजना एवं प्रायोजनाएँ	-	तत्त्वीय वरीयता चौथी वरीयता पंचम वरीयता सप्तम वरीयता	१४ प्रति० १४ प्रति० २२ प्रति० ८ प्रति०
७-समाज से संबन्ध	-	चौथी वरीयता छठी वरीयता	२२ प्रति० ८ प्रति०
८-अनुशासन	-	तत्त्वीय वरीयता पंचम वरीयता छठी वरीयता	८ प्रति० २२ प्रति० ८ प्रति०
९-पुस्तकालय एवं वाचनालय	-	चौथी वरीयता	१४ प्रति०
१०-प्रधानाध्यापक द्वारा परिवेद्धाण	-	दृष्टीय वरीयता	८ प्रति०
(ग) अक्षकस्मिक निरीक्षण			
प्रतिमाह निरीक्षण संख्या-			
१ निरीक्षण प्रति माह			३८ प्रति०
३ निरीक्षण प्रति माह			२२ प्रति०
४ निरीक्षण प्रति माह			१४ प्रति०
उत्तर नहीं दिया			१४ प्रति०
अस्पष्ट			१२ प्रति०
लापरवाही के विषय			
कार्यवाही	-	नियमानुसार कार्यवाही चल रही है	६० प्रति०
यन्त्रास्थित रहनेवाला के विषय	-	उत्तर नहीं दिया अस्पष्ट	३० प्रति० १० प्रति०
अन्य	-	नियमानुसार कार्यवाही उत्तर नहीं दिया	४५ प्रति० ५५ प्रति०

(घ) वाणिकि निरीक्षण

योजना प्रेषित करना	- योजना ए प्रेषित का जाती है उत्तर नहीं दिया	६२ प्रति०
योजना क्रियान्वित यात्रा कार्यक्रम	स्क स्सास्लाह स्क स्सास्लाह से पहले सूचना देना भज दिया जाता है	१०० प्रति०
निरीक्षण कार्यक्रम	योजनानुसार ही करना योजनानुसार द प्रति० यथा संभव योजना नुसार ५३ प्रति० (५०-६० प्रति०) प्रयास करते हैं २२ प्रति० असंभव १७ जाति०	d प्रति०

(ङ) निरीक्षण कार्य

माध्यमिकाउन्नाविं०	एक दिन में एक	एक दिन में छक् १०० प्रति० दिया जाता है।
रात्रि विश्राम	अभिभावक संघ की बैठक करना	बैठक की जाती है ४५ प्रति० बैठकें नहीं की जाती ३० प्रति० उत्तर नहीं दिया d प्रति० उपलब्ध होने पर चर्चा d प्रति० (जन प्रतिनिधियों के) अभिभावक बूलाने पर ६ प्रति० भी नहीं आते हैं।
सूचित निरीक्षण	स्टाफ मिटिंग स्टाफ मिटिंग बुलाना, कूठिना छ्यो बुलाहू जाती है १०० प्रति० सुनना और सुफाव देना।	

उपर्युक्त सारणी से एक प्रमुख तथ्य उभरकर आता है कि लगभग ५० प्रतिशत अधिकारी ही विभाग द्वारा निर्धारित किए मानदण्डों के आधार पर कार्य कर पाते हैं। अन्य अधिकारियों ने या तो मानदण्डशः उत्तर देना उचित नहीं समझा या वे निर्धारित मानदण्डों के आधार पर कार्यवाहीं नहीं कर पा रहे हैं। असूचित निरीक्षण के संदर्भ में एक जिला शिक्षा अधिकारी ने व्यक्त किया कि वे आकस्मिक निरीक्षण वर्ष में एक बार ही करते हैं इसी प्रकार अन्य बिन्दुओं के संदर्भ में मानदण्डों के आधार पर बिन्दुशः कार्य करने की प्रक्रिया से कई तथ्य उभर कर सामने आते हैं जिन्हें उपर्युक्त सारणी से जात किया जा सकता है।

१। कार्य निष्पादन :

प्रतिवेदन के इस खण्ड में उन कार्यों का विवरण है जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने प्रशासन का सुचारू रूप से चलाते हुए सम्पादित करना होता है। कार्य निष्पादन के घटेव को मूलतः तीन प्रमुख बिन्दुओं में विभक्त किया गया है जिनका विवरण अंग्रेजित है :

(१) आगंतुकों से मिलने हेतु समय निर्धारण - इस संदर्भ में ७० प्रतिशत जिला शिक्षा अधिकारियों ने कार्यालय समय में से २ घंटे का समय मिलने वालों के लिए निर्धारित किया जबकि ३० प्रतिशत (२० प्रतिशत पुरुष अधिकारी और १० प्रतिशत महिला अधिकारियों) ने ऐसी कार्यव्यवस्था नहीं की। जिन अधिकारियों ने यह व्यवस्था निर्धारित की उनसे पूछा गया कि क्या वे उक्त व्यवस्था पर दृढ़ रहते हैं। इस पर ८० प्रतिशत अधिकारियों का मत था कि व्यवस्था भले ही बना रखी हो पर वह नाम मात्र की है।

(२) अकादमिक कार्य - आकादमिक कार्यों के सम्बन्ध में जो प्रमुख बिन्दु ध्यान में रखे गए तथा जिनके सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारियों के मत को जानने का यत्न किया गया वे हैं विधालय निरीक्षण, पत्राचार के माध्यम से मार्गदर्शन, प्रधानाध्यापका एवं अनुसंधाना वाक्‌पीठ, विधालय संगम, विधालयों के लिए पुस्तकें। यह पूरे जाने पर कि आप अपने कार्यालय का कितना समयांश अकादमिक कार्यों में लगा पाते हैं। ८० प्रतिशत जिला शिक्षा अधिकारियों का मत था कि मात्र एक घंटा प्रतिदिन कहीं दर से, दो अधिकारी अपना मत नहीं बना सकें। जिन अकादमिक पदों पर जानकारी प्राप्त की जा सकी उनका व्यौरा इस प्रकार है :

क-विधालय निरीक्षण : जिला शिक्षा अधिकारियों के मतानुसार प्रति माह निम्नानुसार विधालयों का निरीक्षा किया जाता है -

- ६० प्रतिशत जिला शिक्षा अधिकारी	४ विधालयों का प्रति माह निरीक्षण
- १० प्रतिशत जिला शिक्षा अधिकारी	६ ?? ?? ??
- १० ?? ?? ??	१० ?? ?? ??
- १० ?? ?? ??	१५ ?? ?? ??
- १० ?? ?? ??	कार्य तथ्ये नहीं देसके । ??

इस अध्ययन में अधिकारियों द्वारा किए गए विधालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का समालोचनात्मक अध्ययन करने का यत्न भी किया गया। इस निमित्त १० जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों के १३० (६०पा०वि० एवं उ०गा०वि०, ४० उ०प्रा०वि०, ३० प्रा०वि०) निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिनका वस्तुनिष्ठ व्यारो निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत किया गया है :

सारणी सं०-॥

विधालय निरीक्षण प्रतिवेदनों का समालोचनात्मक विवरण

प्रतिवेदन विन्दु	जिला शिक्षा अधिकारी
	उल्लेख किया उल्लेख नहीं किया
१- विधालय इतिहास	२० प्रति० ८० प्रति०ने क्रमिक विकास
२- विगत निरीक्षण	७० (नाम मात्र की) ३० विगत निरीक्षण के सफो वा का अनुबर्तीन
३- छात्र उपस्थिति	१०० प्रति०ने कड़ा उपस्थिति एवं कांसुसार आसत उपस्थिति २३ प्रति०ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति ३७ प्रति० ने नई शैक्षिक अपव्यय एवं अवरोधती
४- अध्यापक स्थिति	१०० प्रति० शिक्षाक संख्या, यौवक्षा, रिक्त पदों की संख्या । ४५ प्रति० ने टाइम टेब्ल के आधार पर कार्यालय विभागीय मानदण्ड के आधार पर
५- विधालय कांज	१०० प्रति०ने उल्लेख बैंक स्थित राशि की पास-मात्र किया बुक थादि ४५ प्रति० ने प्रौद्योगिक सत्यापन

प्रतिवेदन छिन्ह

जिला शिक्षा अधिकारी

उल्लेख किया

उल्लेख नहीं किया

**६- विधातय योजनाओं का
क्रियान्वयन एवं स्तर**

७० प्रतिठि० ने माध्य० योजना की क्रियान्वयि०
संब० ३० प्रतिठि०नै०मा० सीमा०
वि० का योजना की सफलता या
१५ प्रतिठि०प्रा०वि० एवं असफलता
उ०प्रा०वि० का योजना की उपादेयता

**७- अध्यापन स्तर तथा गृह
कार्य**

१०० प्रतिठि०शिकाण के अधिकारी द्वारा स्वयं
सम्बन्ध में टिप्पणी किसी कदा का शिकाण
दैनिकी, गृह कार्य किया है।
५ प्रतिठि०ने अध्यापकों के कदागत शिकाण में
लिए बैठक व्यवस्था की तत्स्थाने पार्गदर्श
योजना स्वयं बनाने का

८- परीक्षा परिणाम

८० प्रतिठि० ने माध्यमिक एवं ८५ प्रतिठि० ने प्रा०वि०
उ०प्रा०प्रतिठि०मा०वि० एवं उ०प्रा०वि०
२० प्रतिठि० ने परीक्षा स्थानीय परीक्षा
परिणाम गुणवत्ता परिणाम

**९- पुस्तकालयों की स्थिति
एवं उपयोग**

१०० प्रतिठि० ने माध्यमिक संब० उ०मा०वि० में पुस्तक
संरक्षा, विधासीर्थियों का इश्यु की गई पुस्तकों की संरक्षा।

७२ प्रतिठि० ने मा०वि० एवं
उ०मा०वि० में पत्रपत्रिकाएँ

**१०-खेतकमैदानों की स्थिति
एवं उपयोग**

१०० ने मा०वि० एवं
उ०मा०वि०
४० प्रतिठि० ने उ०प्रा०वि०

प्राधमिक विधालयों के प्रतिवेदनों में
६० प्रतिठि०उ०प्रा०वि० के प्रतिवेदनों में
मैदानों के दैनिक उपयोग

**११-विधातय की साधन -
सुविधाओं का उपयोग**

७३ प्रतिठि०ने मा०वि० एवं उ०मा०वि० के
उपकारणों

उ०प्रा०वि० एवं प्रा०वि०ले उपकारणों
उपकारणों के उपयोग

कू० स०	प्रतिवेदन बिन्दु	जिता शिद्धा अमिकारी उल्लेख किया	उल्लेख नहीं किया
१२-	प्रयोग, प्राथमिक नवाचार	१५ प्रतिभ० ने मा०वि० उ०प्रा०वि० एवं प्रा० एवं उ०मा०वि० के प्रति- वि० के प्रतिवेदनों में वेदनों में ।	
१३-	प्रधानाध्यापक छारा प्रभावी परिवीक्षण प्रयास एवं उपलब्धियाँ	६२ प्रतिभ० ने मा०वि० प्राथमिक शिद्धात्मा० एवं उ०मा०वि० के संदर्भ सम्बन्ध में १०० प्रतिभ० ने में । १८ प्रतिभ० उ०प्रा०वि० के प्रतिवेदनों में परिवीक्षण के प्रमुख तत्त्व १५ प्रतिभ० प्रधानाध्यापक तत्वों की चर्चा (मा०वि० एवं उ०मा०वि०) प्रभावी परिवीक्षण करते हैं तथा इनमें से ७७ प्रतिभ० प्रधानाध्यापक ही योजना पर अपल कर पाते हैं ।	
१४-	आन्तरिक मूल्यांकन योजना	६२ प्रतिभ० ने मा०वि० एवं आन्तरिक मूल्यांकन उ०मा०वि० के संदर्भ में । के क्रियान्वयन प्रवृत्तियाँ की स्तरानुसूलता तथा गुणवत्ता	
१५-	छात्र संसद का गठन तथा भूमिका	- सभी प्रतिवेदनों में इस बिन्दु का उल्लेख	
१६-	समस्या मूल्क छात्रों के लिए किये गए प्रयास	- किसी भी प्रतिवेदन में इस बिन्दु का	
१७-	अध्यापक अभिभावक संपर्क प्रयास एवं उपलब्धियाँ	३६ प्रतिभ० ने मा०वि० एवं १०० प्रतिभ० प्रा०वि० उ०प्रा०वि० के प्रतिवेदनों एवं उ०प्रा०वि० के में इस बिन्दु का सम्बन्ध में ।	
१८-	(अ) विज्ञालय बजट एवं उसका उपयोग	१०० प्रतिभ० ने राष्ट्रीय की शीर्षक के अनुस्प छात्र-प्रवृत्तियाँ, अग्रिम राशि कांश के आवन्तन दिये जाने के अनांचित्य एवं बजट के उपयोग एवं उनका उपयोग के सम्बन्ध में । रखे जाने के बारे में ।	
१९-	(ब) छात्रवृत्तियों तथा उनका विवरण	- १०० प्रतिभ० प्रतिवेदनों में इस बिन्दु का	

सू. १०	प्रतिवेदन बिन्दु	जिला शिक्षा अधिकारी उल्लेख किया	
१६-	रजिस्टर, फाइलों आदि की स्थिति एवं रखरखाव सम्बन्ध में	३८ प्रतिवेदन मार्गिविं एवं उमार्गिविं के १०० प्रतिवेदनों में	प्रार्गिविं एवं उप्रार्गिविं के १०० प्रतिवेदनों में
२०-	विधालय पंडार, स्थिति रखरखाव एवं रह करने की प्रक्रिया	-	१०० प्रतिवेदनों में किसी भी प्रतिवेदन में इस बिन्दु का
२१-	अध्यापक परिषद की बैठकें १७ प्रतिवेदनों में तथा उसकी भूमिका	१०० प्रतिवेदन में प्रार्गिविं एवं उमार्गिविं के संबन्ध प्रार्गिविं के संबन्ध में सभी प्रतिवेदनों में अध्यापक परिषद की बैठकों के निण्ठायों को किस सीमा तक लागू किया	
२२-	विधालय अनुशासन	७८ प्रतिवेदन ने सभी स्तर अनुशासन के नकारात्मक पद के विधालयों पर	
२३-	विधालय की साज सज्जा एवं स्वच्छता	७८ प्रतिवेदन ने इस बिन्दु पर सुफाराव	
२४-	विधालय संगम की प्रवृत्ति में विधालय की भूमिका	६७ प्रतिवेदन मार्गिविं एवं उमार्गिविं प्रतिवेदनों में आस पास के विधालयों चर्चा पर पढ़ने वाले प्रभाव	
२५-	प्रधानाध्यापक नेतृत्व	१०० प्रतिवेदनों पर के नाम तथा कब से कार्यरत का विवरण। १३ प्रतिवेदन ने प्र०अ०के गुणों एवं दामता	
२६-	विधालयों की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ :- शैक्षिक सहशैक्षिक एवं पांचिक	७३ प्रतिवेदन ने उपलब्धियों का विवरण ३१ प्रतिवेदन उपलब्धियों के नये सुफाराव	
२७-	शाला भवन की स्थिति एवं उपयोग	शत प्रतिशत तै इस बिन्दु पर विचार	

३०	प्रतिवेदन बिन्दु सं०	जिला शिक्षा अधिकारी उल्लेख किया उल्लेख नहीं किया
२८-	नैतिक एवं धारितिक शिक्षा	७ प्रति० ने भौतिक शिक्षा के बारे में । ३२ प्रति०प्रार्थना सभा के सफल संचालन के बारे में ।
२६-	राष्ट्रीय महत्व के कार्य (प्रौद्योगिकी विकास के बैंक, अकाल एवं बाढ़ पिछिता की सहायता)	मा०वि०एवं उ०मा०वि० के प्रौद्योगिकी अकाल प्रतिवेदनों में ६६ प्रतिशत एवं बाढ़ पीड़ितों ने संघियका प्रवृत्ति की सहायता
३०-	जल व्यवस्था	१३ प्रति०ने जल व्यवस्था पर सुकाव
३१-	स्काउटिंग-गाइडिंग	२८ प्रति०ने इस प्रवृत्ति पर विचार
३२-	वार्यानुभव	२९ प्रति० ने मा०वि० एवं उ०प्रा०वि० एवं प्रा उ०मा०वि०में इस प्रवृत्ति पर विचार के संबंध में टिप्पणीया
३३-	श्रामवासियों का सहयोग	६ प्रति०ने जनसहयोग से ६१ प्रति० ने इस बने भवनों एवं विधालय बिन्दु पर उदासीनता से संपर्क के बारे में ।
३४-	सामाज्य टिप्पणी एवं सुकाव	१०० प्रति०ने प्रतिवेदनों के अन्त में टिप्पणीया एवं सुकाव ।

निरीक्षण प्रतिवेदन से उद्घृत कुछ फलकियाँ -

अध्यापन स्तर तथा गृहकार्य -

+ दिनांक १६-१-७६ को एक राजोमा०वि०का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। उसके प्रतिवेदन का अंश-

“ अधिकतर अध्यापक कक्षा में पुस्तक खालकर अध्यापन कराते हुए पाये गए, जिससे विदित हुआ कि यह पूर्व तैयारी के कक्षा में नहीं आते हैं।

पुस्तकालय एवं वाचनालय -

भ राजोउच्च माध्यमिक विधालय के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गए निरीक्षण (दृष्टि०७८) प्रतिवेदन के अनुसार -

“ संस्कृत अध्यापक ने कहा कि कक्षा ६ में संस्कृत की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं है। ”

प्रधानाध्यापक नैतृत्व -

एक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उच्च माध्यमिक विधालय का निरीक्षण प्रतिवेदन - २३ मार्च, ७८

“ प्रधानाध्यापक स्कंय एक कलाविज्ञ है परन्तु उनकी हस योग्यता का लाभ विधालय को नहीं मिल रहा है। ”

जिस समय में ग्राम में पहुंचा ताँ उपस्थित छात्रों व छामवासियों ने एक स्वर से वर्तमान प्र०अ०शी----- के विष्णु कहा कि यह कभी समय पर नहीं आते हैं। व शाला समय से पूर्व अपना मुख्यालय छोड़ देते हैं जिसके कारण अन्याध्यापकगण भी शाला में समय पर नहीं आते हैं व छात्रों का स्तर अधिक न्यून से न्यूनतम होता जा रहा है। ”

किसी उच्च प्राथमिक विधालय का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण दिनांक २७-२-७६

कार्यानुभव -

(उच्च माध्यमिक विधालय का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन, दिनांक १८ जनवरी, ७६)

“ द सिलाई की मशीनें रखी हुई हैं, जो किसी काम नहीं आ रही है, उन्हें नवीन भवन में स्थानान्तरित कर प्रशिक्षित अध्यापक से इन पर कार्य कराया जावे। ”

टिप्पणीयों एवं सुफाव -

(किसी प्राथमिक विद्यालय के २३ अगस्त, १९७६ को किसी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के प्रतिवेदन से)

“ हात्रों के पास बांग्स मुस्तकें कुंजियाँ प्राप्त हुई तथा हात्रों के अभिमावकाँ को सूचित किया जावे कि वे बांग्स मुस्तकाँ का बुय न करें । ”

(२८-२-७६ को किसी प्राथमिक विद्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन से)

“ इससे स्पष्ट प्रिदित है कि प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकाँ ने इस में कोई शैक्षिक सह शैक्षिक दौव्र में संबोध प्रद प्राप्ति नहीं की है । ”

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विद्यालयों में भिजवाने तथा उनका अनुवर्तन करने की दृष्टि से मत इस प्रकार रहा ह-

सारणी सं०-४

निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुष्ठान एवं अनुवर्तन

क्रम संख्या	प्रतिवेदन प्रेषण जि०शि०अ०	समय १ सप्ताह	अनुवर्तन जि०शि०अ०	माध्यम स्मरण पत्र
१-	६० प्रति०	१ सप्ताह	४० प्रति०	स्मरण पत्र
२-	२० प्रति०	२ सप्ताह	२० प्रति०	शैक्षिक प्रकाश
३-	१० प्रति०	३ सप्ताह	२० प्रति०	आगामी निरीक्षण के समय
४-	१० प्रति०	४ सप्ताह	२० प्रति०	कोई उत्तर नहीं दिया

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित विद्यालयों को १ से ४ सप्ताह की अवधि में प्रेषित किए जाते हैं । प्रतिवेदनों के अनुवर्तन के सम्बन्ध में ४० प्रति० अधिकारी स्मरण पत्रों का सहरा लेते हैं और २० प्रति० शैक्षिक प्रकाश के माध्यम से अनुवर्तन करवाते हैं । २० प्रतिशत अधिकारियों ने व्यक्त किया कि वे आगामी निरीक्षण के समय ही प्रतिवेदन के अनुवर्तन की जानकारी करते हैं । शेष अधिकारियों ने इस सर्वर्थ में कोई मत व्यक्त

नहीं किया।

स: पत्राचार छारा समर्दिशन - यह मूँ जाने पर कि अकादमिक कार्यों में पत्राचार छारा भास्तव्य होने में जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतिदिन कितना समयाशं लगाना पड़ता है ? अधिकारियों (५० प्रति०) का मत था कि प्रतिदिन आधा घंटा लगाया जाता है । २० प्रति० ने यह व्यक्ति किया कि आवश्यकतानुसार समय लगता है तथा ३० प्रति० अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का अनुमान बताने में असमर्थता व्यक्त की ।

ग: परीक्षा व्यवस्था - उच्च प्राथमिक कक्षाओं में परीक्षा सम्बन्धी जानकारी होते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों का मत था कि उनके यहां पर समान परीक्षा व्यवस्था ठीक प्रकार से कल रही है ।

घ: वाक्‌पीठ एवं विधालय संगम की बैठकें : अकादमिक बैठकों के संदर्भ में वर्षा भर में जितनी बैठक आयोजित की जाती है, उनका व्यारा निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है :

सारणी संख्या-V

एक सत्र में आयोजित वाक्‌पीठ एवं विधालय संगम बैठकें

क्रम बैठकें	बैठक सं०(प्रति०)	बैठक सं०(प्रति०)	बैठक सं०(प्रति०)	बैठक सं०(प्रति०)
सं०	जिंशि०अ०	जिंशि०अ०	जिंशि०अ०	जिंशि०अ०

१- प्रधानाध्यापक	३(२० प्रति०)	२(७०प्रति०)	१(१० प्रति०)	--
वाक्‌पीठ				
२- अन्याधाता	२(५० प्रति०)	१(३० प्रति०)	कोई नहीं(२०प्रति०)	--
वाक्‌पीठ				
३- विधालय संगम	४(२० प्रति०)	३(३०प्रति०)	२(३०प्रति०)	कोई नहीं(२०प्र०

उपर्युक्त तानों प्रकार की बैठकों के प्रति जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जो जानने की दृष्टि से जब प्रश्न किया गया तो उनका मत इस प्रकार रहा :

सारणी संख्या - VI

विभिन्न बैठकों के संदर्भ में जिता शिक्षा अधिकारियों का लक्ष

लक्ष संख्या	मत प्रय प्रतिशत	मत प्रय प्रतिशत	मत प्रय प्रतिशत	मत प्रय प्रतिशत
१- प्रधानाध्यापक विचारों के उत्कृष्ट - वाक्‌पीठ	प्रदान का उत्कृष्ट माध्यम १०० प्रतिशत	-	-	-
२- अनुसंधान वाक्‌पीठ	उपर्युक्त माध्यम असतीज्जनक (६० प्रतिशत)	उपर्युक्त व्यक्ति कोई मत नहीं (२० प्रतिशत) एवं धन का अभाव (१० प्रतिशत)	(१० प्रतिशत)	-
३- विद्यालय संगम	संदान्त्रिक दृष्टि से उपर्युक्त (३० प्रतिशत)	सत प्रायः (६० प्रतिशत)	कोई मत नहीं (१० प्रतिशत)	-

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिता शिक्षा अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक वाक्‌पीठ को विचारों के आदान-प्रदान का उत्कृष्ट माध्यम माना है जबकि अनुसंधान वाक्‌पीठ एवं विद्यालय संगम को ६० प्रतिशत अधिकारियों ने संदान्त्रिक दृष्टि से उपर्युक्त बताया है, विद्यालय संगम को ३० प्रतिशत अधिकारियों ने मृत प्रायः घोषित किया है।

यह पूछ जाने पर कि 'जिता शिक्षा अधिकारी जिते को अकादमिक नेता होते हैं' उस कथन से वे कहां तक सहमत हैं? इस संदर्भ में अधिकारियों का मत लक्ष प्रकार रहा है :-

१-अक्त्यधिक जिम्मेदारियों के कारण अकादमिक नेता नहीं -----	जिता शिक्षा अधिकारी ६० प्रतिशत
२-अकादमिक नेता है -----	२० प्रतिशत
३-कथन असत्य है (डी०६०आ०जी०जी संस्थापन, स्थानान्तरण पदस्थापन, आंकड़ों की जारी से ही कुर्सित नहीं)	२० प्रतिशत

(ड) अकादमिक पदा को सुदृढ़ बनाने के शुकाव :

- (१) अकादमिक कार्यों को सुविधा पूर्वक करने के लिए अधिक विरीय साधन उपलब्ध कराए जाएं (३० प्रतिशत)
- (२) वाहन को सुविधा उपलब्ध करायी जाए ताकि गुणात्मक उन्नयन की दृष्टि से अधिक ध्यान दिया जा सके (३० प्रतिशत)
- (३) राजनीतिक, नेताओं शिक्षाक संग ना, एवं अधिकारियों का हस्तक्षेप कम से कम हो (२० प्रतिशत)
- (४) प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारियों के दो पद होने आवश्यक हैं ताकि एक अधिकारी अकादमिक पदा को एवं दूसरा प्रशासनिक पदा दो देख सके (२० प्रतिशत)
- (५) जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए (२० प्रतिशत)
- (६) जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों पर अच्छे पुस्तकालयों की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

य-

प्रशासनिक कार्य -

प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की दृष्टि से जिन प्रमुख बिन्दुओं का आधार बनाया गया वै है-कार्यालय-समय विभाजन, स्थानान्तरण, पदस्थापन, गोपनीय प्रतिवेदन लेखन, कार्यालय समय के अंतिरिक्त समय का उपयोग, ऐडिंग कैसेज का निपटारा एवं प्रशासनिक दायित्वों का अधिक अच्छी तरह निवाह करने की दृष्टि से अधिकारियों के सुफाव। प्रत्येक के संदर्भ में प्राप्त जानकारी इस प्रकार है :

क: कार्यालय-समय का विभाजन -अधिकारियों से यह जानकारी प्राप्त करने पर कि प्रशासनिक दायित्वों का निवाह करने की दृष्टि से वेबफर्म कार्यालय समय का विभाजन किस प्रत्तर करते हैं, पुष्ट जिला शिक्षा अधिकारियों ने व्यक्त किया कि कार्यालय के समूचे समय का ८५ प्रतिशत समय प्रशासनिक दायित्वों के निवाह में चलता जाता है जबकि महिला अधिकारियों का मत क्षमा कि ६० प्रतिशत समय इसके लिए लाना पड़ता है।

ल: स्थानान्तरण एवं पदस्थापन : जिला शिक्षा अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को संबंधी अधिक समय इस स्थानान्तरण एवं पदस्थापन पर लगाना पड़ता है। ७० प्रतिशत अधिकारियों (महिला एवं पुरुष) का कथन है कि

बाँ भी साथ प्राप्तिगिक लाइसेंस के नियमों के लिए लागा पड़ता है उसका ५५ प्रतिशत सात्र पदस्थापन और स्थानान्तरण पर ही लाला जाता है। ३० प्रतिशत अधिकारियों का यह है कि उन्हें मात्र एक छंटे का समय इस लेटु ब्ल्यू जरना होता है।

स्थानान्तरण ते राष्ट्रीय अधिकारियों पूर्व जाने पर नियन्त्रित तथ्य राखने वाले :

५० प्रतिशत जिऽशि०अ०ज्ञा मत है कि शिक्षाक दूरस्थ स्थानों पर जाते ही नहीं।

४० प्रतिशत जिऽशि०अ०० का मत है कि शिक्षाक संघ बाधाएँ खड़ी करते हैं।

१० प्रतिशत जिऽशि०अ०दौषपूर्ण स्थानान्तरण नियमित एवं सचिवालय का हस्तांतर है।

अधिकारियों से यह पूछे जाने पर कि यदि उनसे स्थानान्तरण एवं पदस्थापन ले लिए जाएं तो वे कैसा महसूस करेंगे। इस पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त हुई :-

(I) ६० प्रतिशत अधिकारियों को कथनानुआर वै राहत, हत्कापन, एवं हस्तपानैप ते मुकित महसूस करेंगे और अकादमिक कार्यों पर ज्याबा ध्यान दे सकेंगे।

(II) ४० प्रतिशत का मत था कि ऐसा होने पर जिला शिक्षा अधिकारी बैताज का बादशाह बन जाएगा।

म: गौपनीय पृतिवेदन - व्यपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गौपनीय पृतिवेदन भरने में जिला शिक्षा अधिकारी किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं तथा उन्हें भरने में वे कितना समय लगाते हैं। इस सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है-

प्रमुख बातें जिनका ध्यान में रखा जाता है :-

(I) ६० प्रतिशत अधिकारी पिछले रेकार्ड एवं टिच्पणीयों को ध्यान में रखते हैं।

(II) २० प्रतिशत अधिकारी व्यक्तिगत सम्पर्क को महत्व देते हैं।

(III) २० प्रतिशत अधिकारी विहित मानदण्डों को ध्यान में रखते हैं।

गौपनीय पृतिवेदनों को भरने की दृष्टि से लगास जाने वाले समय का व्यांका इस प्रकार है -

(I) ५० प्रतिशत अधिकारी लगभग एक माह का समय लगाते हैं।

- (२) ३० प्रतिशिक्षारी १० दिवस का समय लेते हैं।
 (३) १० प्रतिशिक्षारी ७ दिन का समय लगाते हैं। तथा
 (४) १० प्रतिशिक्षारी कथन है कि वे एक सहीवार भरने में १०
 मिनट का समय लगाते हैं।

घ: डाक व्यवस्था - प्रस्तुत अध्ययन में जिन जिला शिक्षा अधिकारियों को चयित किया गया, उनके कार्यालयों की डाक व्यवस्था की स्थिति जात करने का प्रयास भी किया गया, जिसके अन्तर्गत इस कार्यालयों में एक कैलेण्डर वर्ष में माहवार विभिन्न अभिकारणों। स्त्रौतों से प्राप्त एवं निष्पादित पत्रों का संख्यात्मक विशेषण तैयार किया गया (दृष्टव्यः परिशिष्ट-४)

उक्त विवरण से निम्नान्ति तथ्य स्पष्ट होते हैं -

(१) जिला शिक्षा अधिकारियों को सर्वाधिक पत्र उनके अधीनस्थ कार्यालयों। विधालयों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सर्वाधिक पत्रों का निष्पादन भी उन्हीं अधीनस्थ कार्यालयों। विधालयों के सन्दर्भ में ही होता है।

(२) अधीनस्थ कार्यालयों। विधालयों के अनन्तर जिन कार्यालयों। स्त्रौतों से अधिक संख्या में पत्र प्राप्त होते हैं वे कुमशः इस प्रकार हैं - निदेशालय बीकानेर, संयुक्त निदेशक। उपनिदेशक कार्यालय, स्वयं सेवी संस्थाएं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान संबंधित एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर, शिक्षा आयुक्त जयपुर, जिला कार्यालय एवं अन्य स्त्रौति।

(३) जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जुलाई माह में सर्वाधिक पत्र प्राप्त होते हैं। चूंकि जुलाई माह में ग्रीष्मवकाश समाप्ति के अनन्तर शिक्षण संस्थाओं में नया सब प्रारम्भ होता है। अतः छात्रों के प्रवेश, शिक्षाकार्यों के स्थानान्तरण, परीक्षा परिणाम, प्रधानाध्यायकों द्वारा स्टाफ की मांग विधालय स्थानीयन व कृतान्तवन आदि से सम्बद्ध पत्रों का आना प्रारम्भ हो जाता है।

(४) जुलाई के पश्चात आगे के महीनों में प्राप्त पत्रों की संख्या कुमशः कम होती है औन में बहुत कम हो जाती है जून में प्राप्त पत्रों की संख्या में कमी का एक बड़ा कारण विधालयों में ग्रीष्मवकाश का होना है।

इ- केसेज निष्पादन-इस लक्षु लौध ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में माहवार विधालय केसेज व उनके निष्पादन की संख्या जात करने का प्रयास भी किया गया (दृष्टव्य परिशिष्ट-५) तदनुसार निम्नान्ति बिन्दु स्पष्ट होते हैं -
 (१) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में सर्वाधिक केसेज (८०-८१) शिक्षाकार्यों के स्थायीकरण से सम्बन्धित होते हैं। स्थायीकरण के केसेज

के निष्पादन की गति भी अत्यन्त मन्द रहती है सभी ज्ञाधीन वर्ष में केवल ४०८-४३ कैसेज का निष्पादन हुआ और २६५८-४२ कैसेज पैडिंग रह गए। इस प्रकार स्थायीकरण के कैसेज के द्वारा निष्पादन संबंधी व्यवस्था की आवश्यकता स्पष्टतया प्रतीत होती है।

(२) स्थायीकरण के पश्चात्-इन कार्यालयों में पैडिंग कैसेज क्रमशः ग्रान्ट इन एड, लीव, मेडीफ्ल, टी०८०, स्थिरीकरण के चाँच में रहते हैं। निष्पादन करने के बाद भी लीव, टी०८० एवं मेडीफ्ल से सम्बन्धित प्रकरण बढ़ी संख्या में (क्रमशः ४०२-४४, ३०७-६२ एवं २८६-७२) पैडिंग रह जाते हैं। इसपै स्पष्ट होता है कि इन कार्यालयों में लीव कैसेज के निष्पादन के लिए विशेष प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। साथ ही टी०८० एवं मेडीफ्ल का बजट इन कार्यालयों को यथा समय प्राप्त हो जाय ऐसी व्यवस्था किया जाना उपर्युक्त होगा।

(३) निष्पादन हेतु सर्वाधिक कैसेज इन कार्यालयों में जुलाई माह में रहते हैं (२०८०-६१) उपरान्त मार्च, फरवरी, जनवरी एवं अन्य महीनों में यह संख्या क्रमशः कम होती जाती है।

(४) वर्ष भर में निष्पादन हेतु प्राप्त कुल कैसेज (७७१४-५५) में से लगभग ४२ प्रतिशत (३२२६-७३) कैसेज का निष्पादन ही होपाता है। शेष ५८ प्रतिशत कैसेज पैडिंग में रह जाते हैं जो अगले वर्ष निष्पादन हेतु पंक्ति में लग जाते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जिला शिक्षा अधिकारियों में बहुत बड़ी संख्या में कैसेज पैडिंग रह जाते हैं। इन पैडिंगों रहने वाले कैसेज के निष्पादन के संदर्भ में प्रमुखतया जो कारण जिमोदार रहते हैं उन्हें ज्ञात करने तथा जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा व्यक्त अपनी प्रशासनिक जिमोदारी की पूर्ति की दृष्टि से दिए गए सुफाकों को ध्यान में रखते हुए उनकी विद्यान्वित एवं अनुबर्ती से इन कार्यालयों की कार्यप्रक्रिया में तीव्रता लाई जा सकती है।

च: प्रशासनिक दाखिलाओं के संदर्भ में सुफाक -

- १-शिक्षक संघों के अधिकारों को सीमित किया जाय।
- २-फर्नीचर, टंकण स्टेशनरी एवं कार्यालय सुविधा हेतु अधिक विजीय साधान उपलब्ध कराया जाए।
- ३-स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के मामलों में माँगिक अधवा छेलीफालों पर वादेश न देये जाए।
- ४-स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के मामलों में माँगिक अधवा छेलीफालों पर वादेश न देये जाए।
- ५- सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्वतंत्र वाहन उपलब्ध

६-स्थानान्तरण की नीति सुस्पष्ट बनाई जाए ।

७-राजनैतिक दलों, शिक्षा संगठनों एवं उच्च अधिकारियों का हस्तदौप कम से कम हो, देसी व्यवस्था की जाए ।

८-हजार दुकुल धोय कर्मारियों को ही कार्यालय में रखे जाने की स्वतंत्रता जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जाय ।

९-उच्च अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों को निरस्त करने अथवा बदलने से पूर्व उनकी राय, सहभत्ति व्यवश्य लेवें ।

111- दैनिक कार्यक्रम-

जिला शिक्षा अधिकारी अपनी दैनिक कार्य प्रक्रिया में विशेषत किन-किन कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इसकी जानकारी करने के लिए अधिकारियों की दैनिक गतिविधियों का उनके कार्यालय में ही लगातार तीन दिवस तक बैठकर अवलोकन किया गया तथा समूचे कार्यालय समय में हुए घटनाक्रम का आलेख तैयार किया गया ।

न्यादश मेरूहीत १० जिला शिक्षा अधिकारियों का प्रतिदिन अवलोकन-आलेख तैयार करने की दृष्टि से ३० आलेख तैयार होने चाहिये थे, किन्तु कहीं कर जिला शिक्षा अधिकारियों का दत्त स्कूलीकरण के समय एक दिन के बाद कार्यालयों में नहीं आकर घर पर पत्रावलियों का निपटारा करना या उन दिनाकारों में किसी बैठकों को चले जाना अधकारियों की विशेष परिस्थितियों से एक अधिक दिन के बाद दौरे पर चले जाना आदि ऐसे कारण थे कि अपेक्षित ३० दिवसों के अवलोकन के स्थान पर केवल २० अवलोकन आलेख ही तैयार किए जा सके । हन्हीं अवलोकन आलेखों को इस अध्ययन का आधार बनाया गया है । इस सारी प्रक्रिया में यह देखने का खल्ल किया गया कि कार्यालय समय १० बजे प्रातः से ५ बजे अपराह्ण तक के सात घंटों में से लगभग एक घंटा लंबे ब्रेक का नियमित हुए-झेष छः घंटों में जिला शिक्षा अधिकारी किस-किस प्रकार के कार्यों के निष्पादन में उपस्त रहते हैं । इस संदर्भ में जो तथ्य उभरकर आए उन्हें निष्पादित सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है:

सारणी संख्या-४

जिला शिक्षा अधिकारियों का दैनिक कार्य स्वं समय विभाजन	प्रतिदिन लगाया गया समय
४०००० कार्य	४५००००
४- स्थानान्तरण एवं पदस्थापन	२ घंटे

क्र०सं०	कार्य	प्रतिदिन लगाया गया समय
२-	कार्यालय में निर्देशन, पत्राबोलियों का निष्पादन एवं हस्तांडार करना	१ घंटा
३-	लेखाकार्य (अवकाश, यात्रा भरा, मैडिकल ग्रान्ट का उपयोग विधालय भवनों सम्बन्धी कठिनाईयों एवं अन्य लेखाकार्य)	१ घंटा
४-	आगंतुकों से मिलना (शिदाक संघ के पदाधिकारियों अध्यापकों के सम्बन्धियों, हृताल पर जाने वालों की घमकियां)	४५ मिनट
५-	अकादमिक चर्चा ' (नए विषय सौलेना विधालय योजना पर चर्चा करना, नए विधालयों की मान्यता पर विचार करना, विषयाध्यापकों के लिए चर्चा करना, शैक्षिक प्रशास्त्र का मार्गदर्शन देना आदि)	३५ मिनट
६-	डाक देना एवं निर्देशन देना	३० मिनट
७-	सापरवाह कर्मचारियों के लिताफ कार्यवाही (निलम्बन, निष्कासन, बाचरण सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही)	१० मिनट
	योग	६ घंटे

उपर्युक्त सारणी से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं :-

१- यद्यपि जिला शिक्षा अधिकारियों का प्रमुख दायित्व उनके जिले
के विधालयों की शैक्षिक मार्गदर्शन देना है, परन्तु दैनिक कार्य प्रक्रिया में उन्हें
लगभग २ घंटे का समय स्थानान्तरण एवं पदस्थापन में ही लगाना पड़ता है।
यह स्थिति * उस समय की है जब कि स्थानान्तरण का मासम नर्मी पर था
इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि प्रति वर्ष माह जुलाई से अक्टूबर तक
की क्यास्थिति जनती होगी।

२- समूचे कार्यालयी समय में से मात्र ३५ मिनट ही अकादमिक चर्चा के
लिए मिल पाते हैं, याँ भी कहा जा सकता है कि शिदाक समाज अकादमिक कार्यों
के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जाग्रत्त है। उनके लिए
जिला शिक्षा अधिकारी से समाधान अन्य समस्याओं का समाधान दूँड़ना ही

* कलाकृति का कार्य प्रायः उनी जिलों में नवम्बर से जून माह में ही
सम्पन्न किया जा सकता।

आवश्यक है। जिला शिक्षा अधिकारियों की दृष्टि से कहा जा सकता है कि वे अपने पास उपलब्ध समय में से मात्र इतना सा समय ही इस निमित्त निकाल पाते हैं जो कि अप्रत्याशित रूप में न्यून है।

३- ३-इसीप्रकार अपने कार्यालय में पैडिंग कैरेज की निष्पादन की दृष्टि से निर्देश देने व अन्य लेखा कार्यों के निपटारे में प्रतिदिन २ घंटे का समय लगाना पड़ता है।

इस लघु अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन्हें एक अकादमिक अधिकारी की अपेक्षा प्रशासनिक अधिकारी कहना अधिक उचित होगा। जो भी समय उनके पास उपलब्ध है वह मात्र स्थानान्तरण व पदस्थापन कार्यालय निर्देशन, लेखाकार्य निष्पादन आगंतुकों से विचार, विमर्श, डाक देखना पत्रावलियों का निपटारा आदि कार्यों में व्यतीत होता है इससे सहज ही में यह अनुग्रान लगाया जा सकता है कि कई बार चाहते हुए भी वे अकादमिक कार्य कर सकने में स्वयं काँ असमर्थ पाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ऋधिकतर समयांश अकादमिक कार्यों के लिए जुटा सकें और अपने जिले में वस्तुत अकादमिक नेता के रूप में उभर सकें तथा सच्चे अर्थों में शिक्षा अधिकारी बनें इस हेतु विभाग कोई प्रभावी व्यवस्था करेगा ऐसी अपेक्षा की जा सकती है।

परिशिष्ट-।प्रश्नावली

परिचयात्मक सूचना

नाम जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय

स्थान

ज़िला

अनुभव

प्रधानाध्यापक मा०वि० --- वर्षा में
प्रधानाध्यापक उमा०वि० --- वर्षा में
जिला शिक्षा अधिकारी --- वर्षा में
अब तक की राज्य सेवा अनुभव --- वर्षा में

नोट- कृपया प्रत्येक बिन्दु का उत्तर देने का कष्ट करें ।

(क) कार्यालय समय विभाजन

१- मिलने वालों से बातचित्त करने से कार्यालय का निपटाने का दृष्टि से आपने कार्यालय समय का विभाजन किस प्रागर कर रखा है ?

२- क्या आप अपने कार्य करतापाँ में प्रायः उक्त समय विभाजन पर ही दृढ़ रहते हैं ? हाँ । नहीं

(ख) कार्यालय कार्य निष्पादन

(क) अकादमिक -

१- आप अपने कार्यालय समय का कितना समयांश अकादमिक कार्य के निष्पादन में लगाते हैं ?

२- आप एक माह के समय में कितने विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं ?

३- अपने विद्यालय निरीक्षण में आप किन दिन्हुओं को प्राथमिकता देते हैं ।

४- निरीक्षित विद्यालयों के "निरीक्षण प्रतिवेदन" को प्रायः कितने समय बाद विद्यालयों में भिजवा देते हैं ।

५- आप निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं ?

६- आप अपने अनुमान से विद्यालयों को पत्राचार के माध्यम से अकादमिक मार्गदर्शन के लिए प्रतिविन वित्तना समय लगा पाते हैं ?

७- उपर्युक्त कार्य के लिए लगाया समय दैनिक कार्यालय समय का कितना शतांश है ।

८- आप अपने जिते में उच्च प्राथमिकता स्तर सक छः माही और वार्षिक परीक्षाएँ बायोजित करवाने की दृष्टि से क्या प्रक्रिया अपनाते हैं ?

- ६- ज्ञाप अपने जिले में निष्ठाक्रित अकादमिक पदार्थों के संदर्भ में वर्षा
में प्रायः कितनी-2बैठकें आयोजित करवा लेते हैं ?
 (क) प्रधानाध्यापक वाक्‌पीठ ()
 (ख) जिला अनुसंधाता वाक्‌पीठ ()
 (ग) संगम स्तरीय बैठक ()

- १०- उपर्युक्त बैठाचारों के संदर्भ में आपके अपने विचार क्या है ?
 (क) प्रधानाध्यापक वाक्‌पीठ
-
-
-

(ख) जिला अनुसंधाता वाक्‌पीठ

(ग) संगम कार्यश्रम

- ११- “जिले में जिला शिक्षाकारी अकादमिक मार्गदर्शन की दृष्टि से
सर्वोच्च अधिकारी है”, स्तरदतिषयक आपकी क्या मान्यता है ?
-
-
-

- १२- अकादमिक कार्यों के निष्ठादान में आपकी प्रमुख द्वीन कहिनाईया
कानून-२ स्त्री है ?
-
-
-

१३- आपकी दृष्टि में राज्य सरकार को क्या क्षम उठाने चाहिए कि आप अपने अकादमिक दायित्व(रौल)का और अधिक अच्छी प्रकार से निष्पादन कर सकें।

(ख) कार्यालय प्रशासनिक

- १- आप अपने कार्यालय समय को कितना समयांश प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में लगाते हैं ?
- २- उपर्युक्त समयांश में से कितना समय स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों के लिए लगाना पड़ता है ?
- ३- स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों के संदर्भ में आप किन-किन कठिनाईयों को प्रमुखतया पाते हैं ? (कोई प्रमुख तीन)
- ४- आपके कार्यालय में प्रति माह डाक की स्थिति क्या रहती है ? कृपया संलग्न प्रपत्र १ और २ में जानकारी देने का कष्ट करें।
- ५- आपके कार्यालय में विविध प्रकार के "क्लैज" की क्या प्रगति है, कृपया संलग्न प्रपत्र ३ और ४ में सूचना देने का कष्ट करें।
- ६- आपको अपने कार्यालय समय में से कितना समय निम्नकिंत कार्यों के निष्पादन के लिए लगाना पड़ता है ?

अनुमानित समय
एक माह में पूरे वर्ष में

- (क) अध्यापकों के एरिखर चुकाने के लिए
- (ख) लीब कैसेज को निपटाने के लिए
- (ग) प्राविद्यालयों के बैतन चुकाने के लिए
- (घ) टी००८०मैडिकल चुकाने के लिए
- (च) "ग्रान्ट्स" का पैसा चुकाने के लिए
- (ज) "इल सामंगी फर्निचर ट्रार्मिन्स" आदि की ग्रान्ट्स का उपयोग करने के लिए

७- आप अपने आचेनस्थ अधिकारियों के वार्षिक गौपनीय प्रतिवेदन मिजवाने में किस प्रक्रिया का अपनाते हैं, जबकि आपके लिए यह संभव नहीं कि आप अपने से सम्बद्ध सभी अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से जान सकें ?

●

८- अपने जिले के अधिकारियों की र०सी०आर०को भरने में अनुमति कितना समय लगता है ?

९- र०सी०आर०के भरने में वस्तुनिष्ठता लाहौ के लिए आपका क्या प्रयास रहता है ?

१०- यदि आपके पास से स्थानान्तरण पदस्थापन का कार्य ले लिया जाय तो आप क्या महसूस करें ?

११- शैक्षिक प्रशासन के आपके दायित्व का और अधिक उपर्युक्त बनाने को दृष्टि से आपके क्या सुझाव हैं ?

(घ) अन्य

१- आपको अपने दायित्व निष्पादन में उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कृपया यह जानकारी देने का श्रम करें कि निष्पादित जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की दृष्टि से आपको कार्यात्मक समय एवं आपके निजी समय में से कितना समय लगाना पड़ता है।

(१) कार्यात्मक समय

निष्पादित समय

शिक्षकों से मिलने में

निष्पादित अधिकारियों से मिलने में

जनता के व्रतनिष्ठियों से मिलने में

उत्सवों एवं कार्यक्रमों में जाने के

लिए

प०स०द्वारा जामन्त्रित बैठकों के लिए अकादमिक संस्थाओं

द्वारा (स्सआर्ड्झारटी, ट्रीटीकालेज

आदि) द्वारा आयोज बैठकों के लिए

(11) कायर्तिय समय के अतिरिक्त

शिद्धाकाँ से मिलने में जनता के प्रतिनिधियाँ से मिलने में जनता के अन्य व्यक्तियाँ से से मिलने में अन्य व्यक्तियाँ के मिलने में

- २- शिद्धा के दौत्र में आपका बहुत लम्बा अनुभव है। इस दृष्टि से आप विधालयों एवं शिद्धा के दौत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों की सिफारिश करते हैं?

(क) पत्र-पत्रिकाएँ

(ख) पुस्तके

कृतिवाचकां

- ३- आप अपने दायित्वों के निर्वाह में सर्वाधिक कौन सी महसूस करते हैं? (प्रमुख पांच)

- ४- अन्त में कृपया यह जानकारी देने का श्रम करें कि विभाग का ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए कि आप अपने अपेक्षित दायित्वों का वास्तविक रूप में निर्वाह कर सकें।

दिनांक

हस्तादार -----

नाम -----

कायर्तिय सील -----

परिचयात्मक सूचना

(क) अवलोकित अधिकारी

नाम अधिकारी	-----	
कायालिय	-----	
स्थान	-----	
ज़िला	-----	
अवलोकन दिनांक	-----	
अपेक्षित कार्य	मानदण्ड	वास्तविक कार्य
धर्म	-----	-----
कायालिय के संदर्भ में	-----	-----

(ख) निरीक्षण

- जनवरी से जून १
- जुलाई से दिसम्बर १

(ख) कायालिय अधिकारी -

- अपनै अधिनस्थ कायालिय का
- जनवरी से जून १
- जुलाई से दिसम्बर १

(ग) अनुग्राम प्रभारी व

- कायालिय सहायक
- जनवरी से मार्च १
- अप्रैल से जून १
- जुलाई से सितम्बर १
- अक्टूबर से दिसम्बर १

(घ) प्रायः कम से कम एक और

- सामान्यतया ५० प्रतिशत
- राजपत्रित अधिकारी कायालिय
- में रहे

विधालय निरीक्षण के सम्बन्ध में

(क) वाक्ता विधालय(प्रमुखतया) वाक्ता
विधालय(जहाँ स्थित हैं)

निरीक्षण प्रयोगेन
(प्रति ३००००० रुपया) का
भेजना)

(ख) निरीक्षण के सम्बन्ध वरिष्ठता देना

१ -
२ -
३ -
४ -
५ -
६ -
७ -

(ग) आकस्मक निरीक्षण प्रतिमाह आकस्मक
निरीक्षण (संख्या)
लापरवाहों के खिलाफ़ उचित कार्यवाही

- अनुपस्थित रहने वाले
- लापरवाही वाले

(घ) वार्षिक निरीक्षण

(।) योजना प्रेषित करना जार्यालयों ने
विधालयों का

(।।) योजना की विशालिती

१- यात्रा कार्यक्रम	इक सप्ताह पूर्व सूचित करना
२- निरीक्षण कार्यक्रम (रोड के आधार पर)	योजनानुसार ही करना

(ङ) निरीक्षण कार्य

१- उच्च वाध्यमिकाव्यापिका एक दिन में इक	
२- रात्रि विश्राम	अधिकावक संघ की बैठक करना।
३- सूचित निरीक्षण	स्टाफ़ मौटिं छुलाना कठिनाई सुना स्वयं शुकाव देना।

दिनांक

हस्तांकार

नाम

स्थान

पद। कार्यालय

परिषिष्ट - 111

अवलोकन - प्रपत्र

परिचयात्मक सूचना

(क) अवलोकित अधिकारी
नाम अधिकारी

कार्यालय

स्थान

जिला

अवलोकन दिनांक

(ख) अवलोकन सत्रा

नाम

पद

कार्यालय

स्थान

कार्यालय समय

अवलोकित विन्दु

१०-०० से ११-०० प्रातः

कार्यालय समय

अवलोकित विन्दु

११-०० से १२-०० मध्याह्न

१२-०० से २-०० साथ

कार्यालय रमय

अवलोकित बिन्दु

3-00 से 4-00 साथ

4-00 से 5-00 साथ

कार्यालय साथ

अवलोकित बिन्दु

कार्यालय साथ पूर्व स्व धार (डी०८०आ०० से पूछना)

दिनांक

हस्तापार

(अवलोकित)

कार्यालय रमय

अवलोकित दिन्दु

3-00 से 4-00 साथ

4-00 से 5-00 साथ

कार्यालय साथ

अवलोकित दिन्दु

कार्यालय सभ्य पूर्व द्वं धाव (डी०६०ज०० से पूछकर)

दिन द्वा

हस्ताक्षर

(अवलोकित)

डाक व्यवस्था

परिणाम - ४

१० पत्रों के प्रकार	जनवरी			फरवरी			मार्च			अप्रैल		
	प्राप्ति	निष्पादन	शेष	प्राप्ति	निष्पादन	शेष	प्राप्ति	निष्पादन	शेष	प्राप्ति	निष्पादन	शेष
त्रिंसुर	1	• 80	• 20	1	• 60	• 40	54.20	54.20	-	59.20	58.80	• 40
ताराकित	2.71	• 43	2.29	3.14	• 71	2.43	11	9	2	6.71	7	1.71
शिल्प आयुक्त	58.38	36.25	22.13	18.75	11.50	7.25	18.75	10.13	8.63	13.13	6.75	6.38
निदेशक बोलनेर	246.38	162.13	84.25	155.38	146.88	8.50	213.88	172.25	46.43	109.38	89.50	19.88
निदेशक ससाईआर-टी,	71.88	26.13	45.75	48.13	45.63	2.50	59.25	56.38	2.88	20	8.88	11.13
कलाधीश	16.67	8.83	7.83	15.33	9.67	5.67	12.17	10.22	1.83	7.33	5.67	1.67
सासिकी इस्थाय	27.67	22	5.67	28.50	22.67	5.83	38.50	24.63	13.67	48.50	34.33	14.17
उप निदेशक	129	113.14	15.86	90.57	79.57	11	103.71	98	50.71	85.57	76.29	9.29
अधिनियम नायालिय	673.88	652.38	22.75	583	565.50	17.50	910.25	890.43	13.88	626.88	623.63	15.75
अन्य	69	59.17	9.83	83.17	83.17	8.33	94.67	86.50	8.17	72.83	63.17	9.67
ग्राम :-	1298.57	1081.26	216.59	1026.97	965.90	69.41	1521.38	1411.85	148.20	1049.53	974.02	90.0 5

	प्रदूषक													
1- मंत्री सर	13.20	17.30	4.40	6.40	1.40	5	8.20	6.60	1.60	5.80	2.60	3.20		
2- तारामित्र	1.71	.14	1.57	1.57	-	1.57	4.14	2.29	1.86	2.86	1.71	1.14		
3- शिल्प आयुक्त	11.38	4	7.38	8.63	5.13	3.50	43.50	23.50	20.25	29.85	15.88	13.38		
4- निवेशक बोर्डमेर	101.63	64.13	17.50	92.95	74.50	18.25	186	174.38	11.63	175.38	163	7.38		
5- निवेशक एसओईईआर-	26.75	24.25	12.50	14.50	1.75	12.75	32.75	28.88	3.88	33.25	27.13	6.13		
टी														
6- जिताधीश	9	7.50	1.50	6.83	3.83	3	8.50	7.17	1.33	8.50	7	1.50		
7- स्वयंसेवी अस्थाई	32.33	20.33	11.50	37	30.50	6.50	83.17	79.67	3.50	81.50	77.50	4.00		
8- उपनिवेशक	105.29	67.29	38	65.71	59.71	6	125.14	112.86	12.29	130.86	119.57	11.29		
9- अपनिवेशक अस्थाई	952.38	939.75	12.63	185.88	179.50	6.38	1273	1239.50	38.50	1152.25	1130.13	22.13		
10- अन्य	76.67	65.67	11	63.67	52.17	11.50	77.50	67.87	9.67	61.17	47.00	14.17		
योग	1335.34	1221.36	114.16	482.94	408.49	74.45	1846.90	1742.72	104.51	1681.99	1596.62	34.32		

डाक व्यवस्था

श्रेणी के प्रकार	सितम्बर		अक्टूबर		नवम्बर		दिसम्बर		योग						
	प्राप्त	निष्पादन	शेष	प्राप्त	निष्पादन	शेष	प्राप्त	निष्पादन	शेष	प्राप्त	निष्पादन	शेष			
१-त्रीसठर	6.60	4.80	1.80	3.20	1.60	1.60	2.40	1	1.40	1.80	.80	1	168	8151	17
२-ताराकित	1.43	-	1.43	.86	.57	.29	-	-	-	-	-	-	36.13	21.85	1.629
३-शिक्षा अमुक्त	28.75	16.25	12.50	12.75	9.75	3	7.63	2.38	5.25	48.38	10.25	32.13	299.83	151.77	141.73
४-निकेशक बोरोनेर	178.88	164.13	8.25	140	125.38	22.63	115.50	112.50	3	190.13	114.75	75.38	1911.79	1590.53	323.08
५-निकेशक संसाइटारटा	46.38	36.25	10.13	63.38	40.13	23.25	18.50	15.13	3.38	51.13	26	25.13	485.90	326.54	159.41
६-जिलायोग लायलिय	7.50	6.17	1.33	9.17	7.50	1.67	6.50	1.49	1.5	13.67	12	1.67	122.67	92.17	30.50
७-स्वदेशी इस्यार्ट	40.33	35.50	4.83	51	45.67	8.33	55.33	51.33	4	46.50	41.50	5	570.33	486.13	84.00
८-उपनिकेशक	140.86	128	12.86	126.78	119.57	7.14	101	92.14	8.86	109	95.43	13.57	1313.42	1161.57	196.37
९-लंघनिसी	1027.13	1013.88	19.50	1010.38	1000.13	10.25	957	946	11	929	915.75	14.13	10286.91	10096.95	234.40
१०-अन्य	146.17	134.67	11.50	101.50	91.67	9.83	83.17	76.67	6.50	66.33	56.50	9.83	995.85	884.23	120.00
योग	1617.53	1544.65	84.13	1526.95	1441.97	84.99	1348.53	1303.65	44.89	1456.82	1272.98	177.84	16193.45	14965.47	1293.5

केतेज-निष्पादन

परीक्षण-5

केतेज के प्रयोग एवं उत्पादकी	फरवरी			मार्च					
	कुल	निष्पा	शेष	कुल	निष्पा	शेष			
1-स्थाईकरण	234.81	1.29	232	232.83	.86	231.43	231.71	-	232.71
2-स्थिरीकरण	13.14	1.57	12	12.14	-	12.14	12.14	.14	12
3-ऐरीयर	55.14	32.43	22.71	59.17	33.00	26.17	45.57	25.43	20.14
4-मेडीम्स	110	33.71	84.29	123	82	41	147.57	134.14	13.43
5-टीए बिल्स	120.86	39.86	81	127.43	84.14	43.29	119.43	103.29	16.14
6-ग्रांट इन सड़	10	8.86	1.14	8.29	7.29	1	14.43	13.43	1
7-मान्यता	3.71	-	3.71	4	.29	3.71	3.71	2.86	.88
8-इन्कारीज	10.57	2.14	8.43	10.71	1.71	9	10.86	3.43	7.43
9-पैशन केतेज	6.14	2.57	3.57	5.71	2.57	3.14	5.86	2.57	2.29
10-लीवेटेज	97.43	55	42.43	92.86	50.57	42.29	82.14	50.43	31.71
11-ग्रीवेन्टेज	17.43	10	14.71	17	2.86	14.48	30.86	4	26.86
योग:-	697.23	187.43	505.99	692.74	265.29	430.47	704.28	339.75	349.44

कैलेज निष्पादन

परिशिष्ट-5

कैलेज के प्रकार	अप्रैल			मई			जून		
	कुल	निष्पा	धोष	कुल	निष्पा	धोष	कुल	निष्पा	धोष
स्थाईकरण	232	-	232.00	232.57	9.14	225.43	225.71	0.29	225.43
2-स्थायीकरण	12	.29	11.71	11.86	-	11.86	11.86	-	11.86
3-ऐरीयर	42.29	25.80	18.43	22.43	24.14	18.29	21.29	17.43	13.86
4-मेडीकल	23.71	9.06	13.85	45.14	17.86	27.29	32.71	6.29	26.43
5-टीए बिलस	46.43	5	41.43	42.86	21.43	21.43	45.43	8.14	37.29
6-ग्रांटइन एड	2.57	1.67	1	2.43	1.43	1	1.86	.86	1
7-मान्यता	1	.43	.57	1.71	.71	1	1	.29	.71
8-इन्हवारीण	9.57	1.71	7.86	9.43	9.29	8.14	9.43	1.43	8
9-पेशन कैलेज	3.29	3.59	4.70	9.43	.57	8.86	9.43	.71	7.29
10-लीब कैलेज	88	52.71	35.29	69.57	29.57	40.57	70.71	33.29	37.43
11-ग्रीष्मेन्टेज	14.29	3.14	11.43	15	5	11.86	13.29	3.29	10
योग	480.15	104.08	350.01	482.43	112.14	375.73	452.72	72.02	379.30

जलण निष्पादन

परिवेश-5

जलण के प्रकार

छुलाई

अगस्त

सितम्बर

अक्टूबर

छुला

निष्पा

शेष

छुला

निष्पा

शेष

छुला

निष्पा

शेष

छुला

निष्पा

शेष

1-स्थाइजरण	612.43	390.71	221.71	221.86	86	221.00	221.29	43	220.86	220.86	16.86	204
2-स्थरीजरण	77.57	463.57	14	14.29	2.43	11.86	12.43	.43	12	10.57	.86	9.71
3-स्वीयर	48.14	32.29	15.86	33.71	20.86	12.86	47.71	32.71	16.86	26	18	8
4-मठीजल	55.29	41.43	13.86	42.14	38.29	11.86	74.29	48.14	31.14	41.43	20.71	20.71
5-टीसीबिल्स	60.47	36.14	23.29	50.00	30.43	27.57	53.01	18.86	34.86	17.57	11.71	5.86
6-गांडिनेड	729	571	157	12.57	4	8.57	13	4.86	8.14	20.14	13.43	6.71
7-मान्यता	9.43	3.14	6.29	7.57	1.29	6.29	6.71	.57	6.14	6	1.43	5.57
8-इन्हवारीष्ट	9.14	1	8.14	10.2	1.29	9	9.14	2.43	6.71	5.29	1.71	3.57
9-पेशम जेल	7.14	.86	6.29	8.57	2.29	6.29	7.57	1.71	5.86	5.57	.14	5.43
10-लीव जेल	74.43	28.29	46.14	68	27	41	57.86	25.71	32.57	38.29	33.71	4.58
11-ग्रीन्वेसेज	7.57	.86	6.71	8.71	1.57	7.14	7.71	.71	7.00	8.00	1	7
योग	2090.61	1569.29	520.29	485.62	128.31	356.20	510.72	131.56	304.14	399.72	105.27	295.42

ऐरेज निष्पादन

पारीधाट-५

ऐरेज के प्रकार	छवमर			दिसम्बर			योग		
	कुल	निष्पा	शेष	कुल	निष्पा	शेष	कुल	निष्पा	योग
1-स्थाईकरण	204.71	1.57	203.14	210.43	.71	209.71	3090.81	408.43	2658.42
2-स्थिरीकरण	10.43	.86	9	10.48	1.29	9.14	608.91	472.44	137.28
3-ऐचीवर	17	9.71	7.29	17.57	9	8.57	466.02	200.80	190.87
4-मेडील	15.71	13	2.71	23	17.80	3.14	741.99	456.23	289.72
5-टीए विल्स	20.57	17.71	2.84	28.57	23.86	3.71	739.63	400.51	307.62
6-ग्रांटइनसेट	17.14	14.86	2.29	9.14	9	1.14	840.57	650.59	188.99
7-मान्यता	4.14	.86	2.29	3.43	.88	2.57	52.41	12.73	39.71
8-इन्वेस्टरीज	3.86	.71	3.14	5.43	.86	4.57	103.63	28.71	83.97
9-पैन ऐरेज	5.86	.43	5.43	5.86	2.29	5.57	85.43	60.85	58.88
10-लीव ऐरेज	28.43	11.14	17.29	36.14	20.29	15.86	803.86	417.71	402.44
11-ग्रीन्सेट	25.14	7.43	19.14	26.29	.81	18.29	191.29	40.67	140.46
योग:-	352.99	320.85	274.56	375.34	84.77	276.84	7714.55	3229.73	4498.38

आर/-

परिशिष्ट-६

दत्त संकारण दल

- १- डा०सी०स्त०जौशी ,तरकालीन उप निदेशक
- २- श्री डी०सी०मटनागर,भू०पू०,अनुसंधान विभागी
- ३- श्री दू०के०धेर्द, अनुसंधान अधिकारी
- ४- श्री सन०के०शर्मा,सहायक निदेशक
- ५- श्री एच०सी०दक्ष,सहायक निदेशक
- ६- श्री आर०सी०शर्मा,सांख्यिकी अधिकारी
- ७- सु श्री गाला माधुर,अनुसंधान सहायक
- ८- श्रीमती रजनी गुप्ता,अनुसंधान सहायक
- ९- श्री गच्छन्द गौड,कास्टर

०००७

Central Statistical Services Unit,
Division of Educational
Information and Statistics
Institute of Education
University of Delhi